53

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 654398

ओमनारायण यादव

15/12/16

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

ARMED FORCES FLAG DAY

रामफेर दुईजा (आर.पी.डी.) ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह रामफेर दुइजा (आर.पी.डी.) ट्रस्ट विलेख आज दिनांक 15.12.2016 को ग्राम-- एकौनी, पोस्ट– पेसारा, विकास खण्ड– मुफ्तीगंज, तहसील– केराकत, जिला– जौनपुर (उ0प्र0) में ओम नारायण यादव पुत्र स्व0 रामफेर यादव द्वारा घोषित किया गया।

जिसे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रू0 5000/– (रूपया पाँच हजार) की राशि है। जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि यह ट्रस्ट श्री रामफेर दुइजा (आर.पी.डी.) ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि व विभिन्न स्रोतों से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं संसाधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने

मो0नं0 7800516282 ओमनारायण यादव

क्रमांक 2061 स्टाम्प विक्रय की तिथि 13-12-16

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ट्रस्ट

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता ओम नारायण यादव पुत्र स्व० रामफेर यादव

सा० एकौना परगना केराकत तहसील

जि० जौनपुर स्टाम्प की धनराशि 500)

विमलेश त्रिपाठी

विमलेश त्रिपाठी

ला० नं० 3/6

केराकत, जौनपुर

उप कोषाधिकारी
* 13 DEC 2016
केराकत - जौनपुर

9

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 847914

उद्येश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5000/- (रूपया पाँच हजार) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की गई है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम-एकौनी, पोस्ट-- पेसारा, विकास खण्ड- मुफ्तीगंज, तहसील-- केराकत, जिला-जौनपुर (उत्तर प्रदेश) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-एकौनी, पोस्ट- पेसारा, विकास खण्ड- मुफ्तीगंज, तहसील- केराकत, जिला-जौनपुर (उ0प्र0) होगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार रामय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्येश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

रामफेर दुईजा (आर.पी.डी.) ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

<u>उद्येश्य एवं नियमावलीः</u>

(1) **<u>ट्रस्ट के उद्येश्यः</u>** ट्रस्ट निम्न उद्येश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. युवा कल्याण एवं शारीरिक, मानसिक विकास हेतु व्यायामशालाओं का निर्माण, व्यायाम उपकरणों की व्यवस्था, रख रखाव एवं संचालन करना।

2. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी0जी0 कालेज, बी0एड0, बी0पीएड0, बी0टी0सी0, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालयं, विधि महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों छात्रावासों,

ओमनारायण मौर्या

क्रमांक 9062 .... स्टाम्प विक्रय की तिथि 13-12-16
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... ट्रस्ट
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता .... शा० 2061
ग्राम .... तहसील ....
जि० .... धनराशि 50/
लाइसेंस नं० 3/6
केराकत, जौनपुर

यास पत्र

5,000.00	100.00	100	200.00	38
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री ओम नारायण यादव
पुत्र श्री स्व0 रामफेर यादव
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी एकौनी केराकत जौनपुर ,आधार
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/12/2016 समय 2:41PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी
उपनिबन्धक केराकत
जौनपुर
15/12/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री ओम नारायण यादव
पुत्र श्री स्व0 रामफेर यादव
पेशा कृषि
निवासी एकौनी केराकत जौनपुर ,आधार

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान **अम्बरीश कुमार यादव**
चन्द्रभान यादव
पेशा **वकालत**
निवासी **बम्बावन केराकत जौनपुर ,मतदाता प0**
व **सत्यनारायन विश्वकर्मा**
बैजनाथ विश्वकर्मा
पेशा **कृषि**
निवासी **चौकिया केराकत जौनपुर ,डी0एल0**
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी
उपनिबन्धक केराकत
जौनपुर
15/12/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 808485

कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत, करा सकना।

3. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों एवं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।

5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

7. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों, मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

10. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेकिनशियन, लैब टेकिनशियन,

ओमप्रकाश यादव

क्रमांक 2053 स्टाम्प बिक्री की तिथि 13-12-16
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ट्रस्ट
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता श्री...
सा0 धनराशि 500
जि0
विमलेश त्रिपाठी
ला0 नं0 3/06
केराकत, जौनपुर

न्यासी

Registration No.: 53 Year : 2,016 Book No. : 4

0101 **ओम नारायण यादव**

स्व0 रामफेर यादव

एकौनी केराकत जौनपुर ,आधार

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 808486

फिजियोथिरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

11. समाज के लोगों के लिए हास्पीटल, नर्सिंगहोम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा आवास, भोजन इत्यादि का व्यवस्था करना।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बना कर स्वावलंम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।

16. पुस्तकों साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, संम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

ओमप्रकाश पाल

2064 13-12-16

50

गवाह

Registration No.: 53 Year : 2016 Book No. : 4

W1 अम्बरीश कुमार यादव

चन्द्रभान यादव

बम्बावन केराकत जौनपुर ,मतदाता प0

वकालत

W2 सत्यनारायन विश्वकर्मा

बैजनाथ विश्वकर्मा

चौकिया केराकत जौनपुर ,डी0एल0

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 808487

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

19. व्यक्तिविशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

20. ट्रस्ट के उद्येश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

21. विधिसम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं प्रचार कर सकना।

23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।

24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

25. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।

26. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, विक्री कर सकना।

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।

ओमप्रकाश

क्रमांक 8065 .... स्टाम्प विक्रय की तिथि 13-12-16
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....
स्टाम्प क्रेता का नाम ....
सा0........ तहसील........
जि0........ धनराशि 50

विमलेश मिश्रा
ला0 नं0 ३०
केराकत, जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 808488

29. उपभोक्ता अधिकर, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे समाजिक दायित्त के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।

31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/ इंजीनिशरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

34. ट्रस्ट के कोष एवं संम्पदा में वृद्धि करना, विंनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्येश्य में प्रयोग करना।

35. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खडन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।

36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्येश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्येश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

ओमनारायण पाण्डेय

13-12-16

क्रमांक 2066 स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता ... 2061

तहसील

स्टाम्प की धनराशि 50/-

विमलेश त्रिपाठी

ला0 नं0 36

केराकत, जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 808489

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लीनिक का निर्माण करना।

39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीनी बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात एवं निर्यात करना।

40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।

41. दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का संगठन बना कर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एंव सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।

42. धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन/प्रशासन तक पहुँचाना।

43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।

44. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्यप्रणाली को विकसित करना।

(2) **प्रारम्भिक उपबन्धः**

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से ओम नारायण यादव पुत्र स्व0 रामफेर यादव जो कि न्यासकर्ता एवं न्यासविलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंगज ट्रस्टी, अध्यक्ष, ओम नारायण यादव द्वारा

ओम नारायण यादव

क्रमांक 2067 .... स्टाम्प विक्रय की तिथि 13-12-16

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... -/- ....

स्टाम्प क्रेता का [illegible] ..... शा.ला.न.2061

..... तहसील ....

ग्राम ....

[illegible] .... धनराशि 50/-

[signature]

विमलेश त्रिपाठी

ला0 नं0 308

केराकत, जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 808490

रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो ओम नारायण यादव की मृत्यु के पश्चात् वरिष्ठता क्रम में उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।

3. वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

(3) **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरणः**

1. मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

2. मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3. किसी भी व्यक्ति के मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंग, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।

4. मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्ताराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5. मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे। मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित

ओमनारायण यादव

क्रमांक 2068 स्टाम्प बिक्री की तिथि 13-12-16

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम ...... [illegible] 2061

सा0 .... तहसील ....

नि0 .... स्टाम्प की धनराशि 50

[illegible]

विमलेश त्रिपाठी

ला0 नं0 3/[illegible]

केराकत, जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BF 808491

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7. कार्यरत मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8. कार्यरत मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

9. उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम होगा।

(4) <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजः</u>

1. यहकि मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एव सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम 07 सदस्य होंगे।

2. यहकि मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यअवधि मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने

ओम्‌प्रकाश/10/15/2018

क्रमांक 2068 स्टाम्प विक्रय की तिथि 12-12-16
स्टाम्प क्रय करने का उद्देश्य ....
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता 2061
.... तहसील ....
सा0 .... स्टाम्प की धनराशि 50
जि0 ....
बिमलेश त्रिपाठी
ला0 नं0 326
केराकत, जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 808492

के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये, ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3. यहकि मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4. यहकि बोर्ड ऑफ ट्ररटीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैंनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यहकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैंनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(5) **<u>अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएंः</u>**

1. यहकि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्ति करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2. यहकि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तारदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आय-कर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपने प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तारदायी नहीं होगा।

(6) **<u>कार्यक्षेत्रः</u>**

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा, सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता

ओमनाथ०७७५०८

क्रमांक 2070 स्टाम्प बिक्रय की तिथि 13-12-16

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible]

ग्रा0 .... तहसील ....

जि0 .... धनराशि 50

[illegible]

ला0 नं0 [illegible]

केराकत, जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BF 808493

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

है।

(7) **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकारः**

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/ संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्ररटी/अध्यक्ष, ट्ररट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशानिर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षो को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(8) **सचिव/उपसचिव की नियुक्तिः**

1. यहकि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यहकि सचिव/उपसचिवों के वेतन–भत्ते, सुविधाएं कार्यनियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यहकि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक अनुशासनात्मक/प्रसंशनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

ओमप्रकाश/4.01.2011

क्रमांक 2071 स्टाम्प विक्रय की तिथि 13-12-16

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता [illegible] 2061

... तहसील ...

ग्रा0 ...

जि0 ... की धनराशि 50

[illegible]

विमलेश त्रिपाठी

ला0 नं0 376

केराकत, जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 965075

(9) **उपाध्यक्ष की नियुक्तिः**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों के करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पडने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षो की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यहकि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन–भत्ते एवं सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यहकि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(10) **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः**

यहकि इस ट्रस्ट डीड के अन्तगत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न आधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे–

(क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एव उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुवित करना।

(ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्येश्य एवं नियमावली मे

ओमनारायण

18अ

15-12-2016

ओमनारायण यादव पुत्र स्व० रामफेर यादव
सा० एकौनी केराकत जौनपुर

20/

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 26AA 965058

संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(11) **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः**

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(12) **सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः**

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं:

1. ट्रस्ट के उद्येश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य कलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण करना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों, उद्येश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों, विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसस्थओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुरार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच/निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्यअधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

आ॰मु॰ना॰/२७/०१/२१

15.12.2016 1832

1831

২০।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 965059

7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(13) **उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः**

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों, कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हैं।

3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(14) **बैंक एकाउण्टः**

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है या संचालित कर सकता है।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित या कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान, केन्द्र, कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, का पृथक नांम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है या संचालित किया जा सकता है।

(15) **विधिक कार्यवाहीः**

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से काई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

ओमनारायण 11/69

15.12.2016 1833

1831

201

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26AA 965060

(16) **सम्पत्ति सम्बन्धीः**

1. ट्रस्ट चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक या व्यक्ति को प्राप्त होता है।

2. ट्रस्ट की ओर से चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख–विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. चल–अचल सम्पत्ति, क्रय–विक्रय नियमानुसार कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है या ले सकता है।

5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन या सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7. चल–अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रयं, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भारित, गिरवी, विभाजित कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है।

8. वर्तमान में ट्रस्ट के पस 5000.00 (पांच हजार)रूपये पूँजी है।

ओमनारायणयादव

15.12.2016 1834
৯(২)
cw 1831
201৮

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05AD 327824

(17) **विशेषः**

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत सचालित, कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यक्रम, इकाई, कार्यालय, संस्था, उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम, उपनियम बनाये जा सकते हैं, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट, रामफेर दुईजा (आर.पी.डी.) ट्रस्ट के उद्येश्य एव नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम / उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगे।

(ख) अध्यक्ष / ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी / किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी / किन्ही प्राविधान / प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान / प्राविधानों के होते हुए ही अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें संन्निहित रामफेर दुईजा (आर.पी.डी.) ट्रस्ट के उद्येश्य एवं नियमावली एतदद्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एव तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख को पढ़ कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्ष्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

दिनाक 15.12.2016

(ओम नारायण यादव)
संस्थापक / अध्यक्ष / प्रबन्धक
रामफेर दुइजा (आर.पी.डी.) ट्रस्ट

ओमनारायण यादव

15.12.2016 1835

W

W 1831

10/

भारत सरकार
Government of India

ओम नारायण यादव
Om Narayan Yadav
जन्म तिथि / DOB 10/08/1978
पुरुष / Male

8846 4505 8677

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज रामफेर यादव, एकौनी पेसारा जौनपुर, एकौनी, जौनपुर, केराकत, उत्तर प्रदेश 222142

Address:
S/O Rampher Yadav, Akauni Pesara Jaunpur, Ekauni, Jaunpur, Kerakat, Uttar Pradesh 222142

8846 4505 8677

1947
1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

ओमनारायणयादव

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र
IDENTITY CARD
LCW2905248

निर्वाचक का नाम / Elector's Name: अम्बरीश / Ambarish
पिता का नाम / Father's Name: चन्द्रभान / Chandrabhan
लिंग / Sex: पुरुष Male
1.1.2007 को आयु / Age as on 1.1.2007: 21

पहचान पत्र संख्या :- LCW2905248

पता
म.सं. 13
गली/मोहल्ला बम्मावन
ग्राम/नगर बम्मावन
थाना
जिला जौनपुर

Address
H.No. 13
Strt/Mohalla Bammavan
Vill/Town Bammavan
PoliceStn.
Distt. Jaunpur
Pin

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 236-केराकत
Facsimile Signature of Electoral Registration Officer for 236-Kerakat

स्थान जौनपुर / Place Jaunpur
दिनांक / Date 03/03/2007

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।
This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes. 112/160

अम्बरीश कुमार यादव

Licensed to drive throughout India
Description
1. Motor Cycle with Gear/Without Gear
2. Auto Rickshaw
3. Light Motor Vehicle. NT/(Transport)
4. Tractor/Invalid Carriage/Road Roller
5. Medium Goods/Passenger Vehicle (Transport)
6. H.G.V/H.P.M.V. (Transport)
For
This Licence is valid
From 31.01.2006 To 30.01.2026
Licensing Authority Jaunpur

L. No. 3134/2006 Jaunpur
Name and designation of the Authority who conducted test

U.P. MOTOR DRIVING LICENCE
14487
D.L. No. / Date of Issue 31.01.2006
Name
S/o. D/o. W/o. Sri
Address (Parmanent)
A/P
Date of Birth
Educational Qualification
RH Factor

Additional Endorsement Licenced
W.e.f.
W.e.f.
Licensing Auth
Licence is hereby Renewed
Up to
Licensing Authority
Up to
Licensing Auth

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH —18 26AA 965061

रामफेर दुईजा (आर.पी.डी.) ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको ट्रस्ट के नियमों के अनुसार कार्यभार सौपा गया है—

क्र0 स0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री ओम नारायण यादव	स्व0 रामफेर यादव	एकौनी, पेसारा, केराकत, जौनपुर	ट्रस्टी/अध्यक्ष	समाज सेवा
2	श्री हृदयनारायण यादव	स्व0 रामफेर यादव	एकौनी, पेसारा, केराकत, जौनपुर	उपाध्यक्ष	ठेकेदार
3	श्री सूर्यनाथ यादव	स्व0 रामफेर यादव	एकौनी, पेसारा, केराकत, जौनपुर	कोषाध्यक्ष	ठेकेदार
4	डा0 नवीन कुमार यादव	पुत्र विजय नारायण यादव	एकौनी, पेसारा, केराकत, जौनपुर	सचिव	चिकित्सक
5	श्री अनीश यादव	पुत्र विजय नारायण यादव	एकौनी, पेसारा, केराकत, जौनपुर	सचिव	शिक्षा
6	श्री विजय नारायण यादव	स्व0 रामफेर यादव	एकौनी, पेसारा, केराकत, जौनपुर	सदस्य	कृषि
7	श्री कमला यादव	स्व0 राजाराम यादव	सरसेड़ी, लालगंज, आजमगढ़	सदस्य	नौकरी

ओमनारायण यादव

15.12.2016 1831

1831

201

आज दिनांक 15/12/2016 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 21

पृष्ठ सं. 191 से 228 पर कमांक 53

रंजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र त्रिपाठी

उपनिबन्धक केराकत

जौनपुर

15/12/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05AD 327825

साक्षीगणः

1. नामः अम्बरीश कुमार यादव पुत्र चन्द्रभान यादव

पता ग्राम बम्बावन तह० केराकत जिला जौनपुर

मो० नं० 9451722658

अम्बरीश कुमार यादव

2. नाम सत्यनारायण विश्वकर्मा S/O बैजनाथ विश्वकर्मा

पता ग्राम - चौकिया, पो. जयगोपालगंज, केराकत जौन

Satyanarayan

मसविदाकर्ता: अम्बरीश कुमार यादव, एडवोकेट, केराकत, जौनपुर। अम्बरीश कुमार यादव

टाईपकर्ता: राम कुमार गौतम, केराकत, जौनपुर। RMGautam 15/12/2016

ओमनारायण यादव

15.12.17.016 [illegible] 10236

[illegible]

[illegible] क्र.: 1823

[illegible]

10/

[illegible]

[illegible]

[illegible]